

3.5.18

पंजावली आल कॅम्प कोर्ट में नया मुका में पेक्षा हुई। पंजावली का ध्यानपूर्वक आवेदन किया गया। अन्त में संबंधित वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्वाइज जिजेदावा न्यायालय हाका में विचाराधीन चल रहे है। तथा अस्वाइज जिजेदावा का आदेश प्रभावी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र की प्रार्थना में कोई हस्तावेध पंजावली में उपलब्ध है। अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जा रहा है। पंजावली कॅम्पल मुकर होकर नया मुकर के काम हो तथा सार्वजनिक दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी